

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर (राज0)

अध्याशित:- श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

अपील सं0

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

04 / 18

31.8.18

२४.२.२०२२


उनवान

1. खैरुनिशा पुत्री जरीना
2. सुहेला पुत्री जरीना
3. जैबुना पुत्री जरीना
4. खुशीदन पुत्री जरीना
5. साहिना पुत्री जरीना
6. रूकसाना पुत्री जरीना पिता अब्दुल्ला
7. सोहेल पुत्र जरीना पिता अब्दुल्ला (नवासी व नवासे मृतक जुहरू) जाति मेवान निवासी अकबरपुर तहसील पुन्हानां जिला नुहु हरियाणा।
8. जैनम उर्फ चूहिया बैवा जुहरू जाति मेव निवासी बृसंगपुर (मैदाबास) तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—अपीलांटस:—

बनाम

1. ग्राम पंचायत बृसंगपुर जर्गे सरपंच ग्राम पंचायत बृसंगपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
2. मैमुना बैवा जुहरू
3. इकबाल मोहम्मद
4. आरिफ मोहम्मद

  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास (अलवर)

5-वारिस मोहम्मद पुत्रान जुहरू

6-रुकसीना।

7- वारिसा पुत्रीयान जुहरू जाति मेव निवासी बृसंगपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर

राज0

:-रेस्पोंडेंटस:-

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 06.08.2018 बाबत विरासत

इंतकाल सं0 1323 दिनांक 06.08.2018 मृतक जुहरू

पुत्र इनायत जाति मेव निवासी बृसंगपुर

उपस्थिति:-श्री रतिराम वकील अपी0 की ओर से

श्री सतीश शर्मा वकील रेस्पोंडेंट 2लाग0 7 की ओर से।

निर्णय

उज्जात अपील के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:-

वकील अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास में जुहरू पुत्र इनायत जाति मेव निवासी बृसंगपुर की स्वअर्जित व पैत्रिक आराजीयात ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास में स्थित ख0न0 200 रकबा 0.21 हे0, 201 रकबा 0.18हे0, 295 रकबा 0.23हे0, 296 रकबा 0.04 हे0, 297 रकबा 0.14 हे0, 414 रकबा 0.20 हे0, 470 रकबा 0.30 हे0, 471/966 रकबा 0.11 हे0, 472 रकबा 0.27 हे0, 488/965 रकबा 0.30 हे0, 711 रकबा 0.72 हे0, 717 रकबा 0.39 हे0, किता 12 रकबा 3.09 हे0 का 1/2 भाग तथा 372 रकबा 0.29 हे0, 473/962 रकबा 1.0हे0 किता 03 रकबा 1.86 हे0 सालिम 361 रकबा 0.43 हे0 , 373 रकबा 0.15 हे0, 376 रकबा 0.34 हे0 किता 03 रकबा 0.92 हे0 किता 3 रकबा 0.92 हे0 मे से 10/16 हि0 तथा खसरा नं0 121 रकबा 0.25 हे0, 122 रकबा 0.250.59 हे0, 123 रकबा 0.35 हे0, 124 रकबा 0.35 हे0, 128 रकबा 0.06 हे0 किता 05 रकबा 1.26 हे0 का 1/4 भाग तथा 112 रकबा 0.54 हे0 का 1/4 भाग, तथा ख0न0 111 रकबा 1.01 हे0 का 1/4 भाग व 290 रकबा 1.92 हे0, 293 रकबा 0.86 हे0, 294 रकबा 0.13 हे0, 772 रकबा 0.20, 773 रकबा 0.23 हे0, 775 रकबा 0.53 हे0 , 779 रकबा 0.44 हे0 780 रकबा 0.44हे0, किता 8 रकबा 4.75 हे0 का 1/8 हिस्सा तथा 777 रकबा 0.28 हे0, 778 रकबा 0.40 हे0, 781 रकबा 0.86 हे, किता 03 रकबा 1.54 हे0 का 1/8 हिस्सा तथा 298 रकबा 0.03 हे0, 299 रकबा 0.18 हे0 किता 02 रकबा 0.21 हे0, का 1/8 हि0, मृतक जुहरू की खातेदारी की भूमि दर्ज जमाबंदी कायम है। मृतक जुहरू पुत्र इनायत मेव का देहान्त दिनांक 09.06.2014 सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में हो चुका है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। मृतक जुहरू के दो पत्निया थी मैमूना व जैनाम उर्फ चूहियां आज दिन मौजूद है तथा तीन पुत्रीया रुकसीना, वारिसा ,व जरीना पैदा हुई, जो तीनों शादीशुद्धा है। जिनमें से जरीना की मृत्यु उसकी ससुराल ग्राम अकबरपुर में दिनांक 22.3.2016 को हो चुकी है। अपीलान्टस 1 लगा0 7 मृतका जरीना के पुत्र व पुत्रीया है।

उपरीण्ड/अधिकारी  
किशनगढबास (अलवर)

कानूनी वारिसा है। मृतका जरीना अपीलांटस 1 लगा0 7 की प्राकृतिक माता थी तथा मृतक जहरू अपीलांटस 1 लगा0 7 का सगा नाना था। अपीलांट सं0 7 मृतक जुहरू की बैवा पत्नी है जो आज दिन जीवित है। अपीलांटस ने दिनांक 02.07. 2018 को माननीय तहसीलदार किशनगढबास के समक्ष विरासत इंतकाल दर्ज व मंजूर कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र मृतक जुहरू की बाबत प्रस्तुत किया। जिस पर पटवारी हल्का बृसंगपुर से वारिसान की रिपोर्ट चाही गई। पटवारी हल्का द्वारा बाद जांच जरीना पुत्री जुहरू का उसके ससुराल में फौत होना बतलाते हुए रिपोर्ट पेश की जिस पर तहसीलदार किशनगढबास द्वारा क्रमांक एलआर/18/1462 दिनांक 02.07.2018 को तहसीलदार पुन्हानां से मृतका जरीना पुत्री जुहरू पत्नी अब्दुला के वारिसान की जांच रिपोर्ट तलब की ओर जाचं रिपोर्ट नायब तहसीलदार पुन्हाना द्वारा विस्तृत रूप से करते हुए अपनी रिपोर्ट क्रमांक 583 दिनांक 16.7. 2018 को तहसीलदार किशनगढबास के यहा भिजवाई जिस पर हल्का पटवारी बृसंगपुर द्वारा इंतकाल विरासात सं0 1323 दिनांक 1.08.2018 को समस्त वारिसान के नाम दर्ज किया ओर इसी रिपोर्ट के आधार पर पटवारी हल्का बाघोडा द्वारा भी इंतकाल सं0 2192 दिनांक 1.8.2018 को समस्त वारिसान के नाम दर्ज किया। जिसे ग्राम पंचायत बाघोडा द्वारा दिनांक 6.8.18 को मनमाने तरीके से राजनैतिक दबाब में आकर खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध मौजूदा अपील दायर की जा रही है। ग्राम बृसंगपुर के इंतकाल सं0 1323 की अपील भी अलग से न्यायालय हाजा में प्रस्तुत है।

मिन अपीलांटस 1 लगा0 8 व रेस्प0 सं0 2 लगा0 7 मृतक जुहरू पुत्र इनायत के विधिक व कानूनी वारिसान है। जिनका कि पैत्रिक आराजीयात ग्राम बाघोडा में मुताबिक सजरा के समान भाग हक हिस्सा कायम है। इसलिए अपीलांटस के नाम नामान्तकारण विरासत मृतक कराया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांटस प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अपीलांटस की अपील स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय रेस्प0डेंट सं0 1 बाबत विरासत इन्तकाल सं0 2192 दिनांक 06.08.18 निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांटस व रेस्प0 सं0 2 लगा07 के नाम मुताबिक सजरा दर्ज इंतकाल नं0 2192 के अनुसार विरासत दर्ज वो स्वीकार करायें जाने की आज्ञा सादिर की जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्प0डेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत बृसंगपुर बावजुद सूचना उपस्थित नही एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा शेष रेस्प0डेन्ट उपस्थित हुए। वकील रेस्प0डेन्ट ने जवाब पेश ना कर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील रेस्प0 ने अपनी बहस मे बताया कि मृतक जुहरू ने दिनांक 22.11.12 को दस्तावेज वसीयतनाम रेस्प0 के पक्ष में किया है जिसमें मृतक जुहरू ने अपने वारिसो में दो पुत्रीया व तीन पुत्रो का होना बताया है। एवं वसीयत में यह भी अंकित किया है कि मेरी


उपलब्ध अधिकारी  
किशनगढबास (अखबर)

मृत्यु के बाद मेरी कब्जा काश्त आराजी के खातेदार काश्तकार मेरे तीनों पुत्रान इकबाल मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद व बारिस मोहम्मद बहिस्से बराबर खातेदार काश्तकार होंगे तथा उपरोक्त वसीयत में अपीलांटस की माता की भी सहमती है। उपरोक्त वसीयत के आधार पर नामांतरण दर्ज किया जाने के आदेश फरमावे।

वकील पक्षकारन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न इंतकाल सं० दिनांक 6.8.18 में अंकित किया गया है कि ग्रामवासी व वार्ड पंचो द्वारा भी मृतक जुहरू के दो पुत्री व तीन पुत्र होना स्वीकार किया है चूकि मृतक जुहरू ने वसीयत नामा दिनांक 22.11.12 में भी अपने वारिसान की संख्या में तीन पुत्र व दो पुत्रीया बताई है। अपीलांट द्वारा कोई ऐसा दस्तावेजात पेश नहीं किया जिससे पता चले की मृतक जरीना रेस्पोंडेंट की बेटी व बहन हो। ना ही अपीलांटा ने कोई दस्तावेज मृतक जरिना के वारिसान बाबत पेश किया। लेकिन तहसीलदार पुन्हाना ने अपनी रिपोर्ट में अपीलांट को मृतक जुहरू के वारिसान बताया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा किया गया निर्णय दिनांक 6.8.18 खारिज कर पुनः वारिसान की जांच एवं दस्तावेजात की जांच कर निर्णय करवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है

अतः आदेश है कि :-

अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 06.08.2018 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढबास को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाकर। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात (वसीयतनाम दि० 22.11.12 या अन्य कोई साक्ष्य) एवं वारिसान के सम्बन्ध में जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित कर नामांतरण दर्ज करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( ओम प्रकाश सहारण )  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास (अलवर)